संख्या-55/2018/2356 ई-2/तेरह-2018-110/2014

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 06 जुलाई,2018

विषय:-मेसर्स होटल मधुवन पैलेस, वाराणसी में एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-1295/जि0आ0अ0/बार-अनु0/एफ0एल0-6(समिश्र)/18-19, दिनांक 24 मई,2018 तथा पत्र संख्या-1483/जि0आ0अ0/बार-अनु0/एफ0एल0-6(समिश्र)/18-19, दिनांक 21 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 28-4-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-60/दस-लाइसेंस-39/एफ0एल0-6,7/मधुवन/वाराणसी, दिनांक 25 जून,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी मकान नं0-एन-10/79 के0-2सी, न्यू कालोनी ककरमत्ता पोस्ट आफिस डी0एल0डब्लू0, वाराणसी द्वारा संचालित मेसर्स होटल मधुवन पैलेस, एन0-10/75 के-एम-ककरमत्ता, वाराणसी को वर्ष 2018-19 के लिये एफ0एज0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त होटल में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाए।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in